

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

१ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी १
बृहस्पतिवार 16 अगस्त, 2001 / श्रावण 25, 1923 १ शक १

संख्या : 162

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को थाना चान्दनी चौक,
दिल्ली, का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के
माननीय सदस्य सर्व श्री मुकेश शर्मा, महाबल मिश्रा, श्रीमती सुशीला
जयकिशन व श्री राज कुमार चौहान को 13.08.2001 को 1330 बजे
दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के
विधि सम्मत निर्देशों की अज्ञात करने के कारण नजरबन्द किया गया ।
उन्हें वहीं से उसी दिन अर्थात् 13.08.2001 को 1430 बजे
रिहा कर दिया गया ।"

सिद्धार्थ राव
कार्यवाहक सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETION PART-II

(General information relating to legislative & other matters)

Thursday, 16 August, 2001/ Shravana 25, 1923(Saka)

No. 162

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker,
Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S. Chandni Chowk,
Delhi.

"I have the honour to inform you that S/Sh Mukesh Sharma,
Mahabal mishra, Smt. Sushila Jai Kishan & Raj Kumar Chauhan
MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying
the lawful direction of Police at 1330 Hrs on 13th August, 2001.

They were released at 1430 Hrs. from the same place on the
same day i.e. 13.08.2001."

SIDDHARATH RAO
OFFICIATING SECRETARY